न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–रतलाम R 2642- PBR/13

रईस उर्फ जाकिर पिता रहमत खां मुसलमान, निवासी– जुना कबाड़ा, जावरा, जिला–रतलाम (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

साकिर उर्फ बब्बू पिता रहमत खां मुसलमान, निवासी– ग्राम भीमाखेड़ी फाटक, जावरा, जिला–रतलाम (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जावरा, जिला–रतलाम द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.05.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक एवं अनावेदक आपस में सगे भाई होकर रहमत खां पिता नाहर खां मेवाती मुसलमान, निवासी– जावरा के जाईन्दा पुत्र हैं तथा आवेदक एवं अनावेदक की पैतृक सम्पत्ति पटवारी अभिलेख अनुसार सर्वे नं. 465/1, 465/8 रकवा क्रमशः 0.038 हेक्टेयर व रकवा 0.479 हेक्टेयर कुल रकवा 0.517 हेक्टेयर कस्बा जावरा में स्थित होकर उक्त सम्पत्ति पैतृक होने से आवेदक व अनावेदक का सम्पत्ति में 1/2 के मान से स्वत्व निहित है। जोकि पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में अनावेदक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 के तहत् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और अपने नाम नामान्तरण करने बावत् निवेदन किया, जिस पर से अधीनस्थी विचारण न्यायालय तहसीलदार जावरा द्वारा वसीयतकर्ता के वारिसान को

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2642-पीबीआर/13 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.3.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	